



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ 1940 (श०)

(सं० पटना 553) पटना, सोमवार 11 जून 2018

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

6 जून 2018

सं० सं०का०-०१ / वि०मं०(बि०वि०स० भर्ती एवं सेवा शर्तें)०५-०४ / २०१७-३४८—भारत संविधान के अनुच्छेद 187 के खंड ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल बिहार विधान सभा के अध्यक्ष के साथ परामर्श के पश्चात् बिहार विधान सभा सचिवालय में नियुक्त कर्मचारीवृन्द (स्टाफ) की भरती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा:-

नियमावली

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(क) यह नियमावली बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।

(ख) यह बिहार राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

२. परिभाषा : जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-

(क) “नियुक्ति प्राधिकार” से तात्पर्य है नियम (६) के अधीन गठित प्राधिकार।

(ख) “भारत के नागरिक” से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो संविधान के भाग (ii) के अधीन भारत का नागरिक हो अथवा भारत का नागरिक समझा जाता हो।

(ग) “संविधान” से तात्पर्य है भारत का संविधान।

(घ) “प्रतिनियुक्ति” से तात्पर्य है सचिवालय के किसी पदाधिकारी की सेवाएं, सचिवालय से बाहर के किसी कार्यालय को अस्थायी रूप से सौंपी जानी या सचिवालय से बाहर के किसी पदाधिकारी की सेवाएं इस सचिवालय को अस्थायी रूप से सौंपी जानी।

(ङ.) “वित्त विभाग” से तात्पर्य है बिहार राज्य सरकार का वित्त विभाग।

(च) “सरकार” से तात्पर्य है यथास्थिति केन्द्र अथवा राज्य सरकार।

(छ) “राज्यपाल” से तात्पर्य है बिहार राज्य का राज्यपाल।

(ज) “पद” से तात्पर्य है सचिवालय का कोई पद, और कोई पद अनुसूची में यथा उल्लिखित समूह-क, समूह-ख एवं समूह-गके अनुसार समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग का पद समझा जायेगा।

(झ) “प्रोन्नति समिति” से तात्पर्य है नियम (७) के अधीन गठित समिति।

(ज) “अनुसूची” से तात्पर्य है इस नियमावली की अनुसूची।

- (ट) "चयन समिति" से तात्पर्य है इस नियमावली के अधीन गठित चयन समिति ।
- (ठ) "सचिवालय" से तात्पर्य है बिहार विधान सभा सचिवालय ।
- (ड) "सचिव" से तात्पर्य है बिहार विधान सभा का सचिव ।
- (ढ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य है बिहार विधान सभा का अध्यक्ष ।
- (ण) "उपाध्यक्ष" से तात्पर्य है बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष ।
- (त) "भर्ती-वर्ष" से तात्पर्य है कैलेंडर वर्ष (पंचांग वर्ष) ।

3. सचिवालय का संख्या बल और संरचना :

(क) बिहार विधान सभा का एक अलग सचिवालय होगा जिसमें समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के उतने स्थायी पद होंगे जितने अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ;

परन्तु, अध्यक्ष समय-समय पर वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या बढ़ाकर या घटाकर अथवा पद या पदों की कोई नई कोटि का सृजन कर तदनुरूप अनुसूची का संशोधन कर सकेंगे ।

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोटि अथवा नई कोटि के अस्थायी पद/पदों का सृजन अध्यक्ष, आवश्यकतानुसार वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात, कर सकेंगे ।

(ग) समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएँ, कालावधि और अन्य अर्हताएँ वही होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. स्थायी स्थानांतरण / समायोजन अथवा प्रतिनियुक्ति : नियम-3 के अधीन निरूपित अनुसूची में कोई उपबंध रहते हुए भी किसी पद पर या पदों की किसी श्रेणी में स्थायी स्थानांतरण / समायोजन अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की जा सकेगी—

5. चयन समिति का गठन :

नियम-6 के उप-नियम (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पद या पदों की किसी श्रेणी में चयन हेतु अध्यक्ष आवश्यकतानुसार चयन समिति का गठन कर सकेंगे जिसके संयोजक, अध्यक्ष द्वारा नामित सभा सचिवालय के निदेशक अथवा उप सचिव होंगे और चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :—

- (क) संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि
(उप सचिव से अन्यून पंक्ति का) — सदस्य
- (ख) निदेशक, बिहार विधान सभा
अथवा
उप सचिव, बिहार विधान सभा
(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) — सदस्य

परन्तु चयन समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से होंगे ।

6. नियुक्ति-प्राधिकार- (क) सचिव या संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति अध्यक्ष के परामर्श से बिहार विभिन्न न्याय-सेवा के व्यक्तियों में से राज्यपाल करेंगे ।

(ख) अन्य सभी पदों पर नियुक्तियां अध्यक्ष करेंगे ।

परन्तु अध्यक्ष, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सचिवालय के सचिव या किसी अन्य पदाधिकारी को ऐसे आदेश में यथा विनिर्दिष्ट समूह-ग के किसी पद पर या पदों की किसी कोटि में भरती करने की अपनी शक्ति सौंप सकेंगे ।

7. प्रोन्नति समिति का गठन :

सचिवालय में एक प्रोन्नति समिति होगी जिसमें संयोजक के रूप में सचिव और निम्नलिखित सदस्य प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समाविष्ट होंगे :

- (क) निदेशक, बिहार विधान सभा
(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) — सदस्य
- (ख) संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि
(संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का)
अथवा
उप सचिव, बिहार विधान सभा
(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) — सदस्य

परन्तु प्रोन्नति समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से होंगे ।

8. अनुसूची के कॉलम-7 के अधीन रहते हुए उसमें विनिर्दिष्ट समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के पदों पर सीधी भरती :— प्रशास्त्रा पदाधिकारी के पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्ति सभा सचिवालय के अधियाचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जायेंगी तथा शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया निम्नवत होगी :—

(क) हरेक एकान्तर वर्ष के जनवरी माह में सचिव, विद्यमान रिक्तियों के साथ-साथ अगले वर्ष दिसम्बर तक होनेवाली संभावित रिक्तियों को निर्धारित कर सकेगा और सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों का विज्ञापन,

बिहार राज्य में व्यापक रूप में परिचालित होनेवाले कम से कम दो समाचार-पत्रों, जिनमें से एक समाचार पत्र हिन्दी का हो, में करेगा।

(ख) अध्यक्ष द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु भर्ती की पद्धति या पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक, परीक्षाओं के संचालन हेतु राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त अभिकरण (एजेंसी) / संस्था आदि विभिन्न पदों के लिए विनियमन के माध्यम से अवधारित होंगे।

(ग) अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर अवधारित परीक्षा की रीति (मोड), विषय, पाठ्यक्रम, अंक, आदि के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा और आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा।

(घ) विज्ञापन के चयन से पैनल की तैयारी तक भरती की समग्र प्रक्रिया, अध्यक्ष के अनुमोदन से, चयन समिति द्वारा पूरी की जाएगी।

9. अनुसूची में विनिर्दिष्ट समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के पदों पर प्रोन्नति :-

अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न कोटि के प्रोन्नति हेतु निर्धारित पदों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर भरा जा सकेगा।

10. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति :- नियमावली के अनुसूची में जहाँ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (Limited Examination) के माध्यम से चयन / नियुक्ति प्रावधानित है वहाँ निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी :-

(क) नियम 11 के अधीन रहते हुए योग्य अभ्यर्थियों की अलग से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ख) यह पूरी प्रक्रिया अध्यक्ष के अनुमोदन से चयन समिति के द्वारा पूरी की जाएगी।

11. नियुक्ति के सामान्य नियम :- सभी अभ्यर्थी उस पद की नियुक्ति हेतु आवेदन भरेंगे जिसके लिए उनमें पात्रता है और विज्ञापन में यथा निर्दिष्ट ऐसी विशिष्टियाँ भी देंगे।

12. आयु-सीमा :- सेवाओं में किसी पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्ति की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमाएँ राज्य सरकार द्वारा समरूप पंक्ति के अथवा समकक्ष पदों पर यथाविहित आयु-सीमाओं जैसी होगी।

विभागीय अभ्यर्थियों की स्थिति में, यद्यपि अधिकतम आयु-सीमा राज्य सरकार द्वारा समरूप पंक्ति के अथवा समकक्ष पदों पर यथाविहित आयु-सीमाओं जैसी होगी। फिर भी, किसी विशेष उपयुक्त मामले में अध्यक्ष को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देने की शक्ति होगी।

13. परिवीक्षा :- समूह-ख एवं 'ग' के किसी कोटि के पद पर सीधी भरती अथवा अन्य सेवाओं से नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। परिवीक्षा की अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। यदि नियुक्ति प्राधिकार उचित समझे तो परिवीक्षा की अवधि का विस्तार किया जा सकेगा। किन्तु किसी भी स्थिति में परिवीक्षा की विस्तारित अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी। परिवीक्षा की विस्तारित अवधि में भी, अध्यक्ष की राय में सेवा असंतोषजनक होने की दशा में व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकेगी।

14. विभागीय परीक्षा :-

(क) समूह-ख एवं समूह-ग के उच्चतर पद एवं वेतनमान में प्रोन्नति के लिए किसी मूल ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति को अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर यथाविहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(ख) अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर यथानिवेशित ऐसी विभागीय परीक्षाओं का आयोजन सचिव करेंगे।

15. वरीयता :-

(क) किसी कोटि में सीधी भरती से नियुक्त सभी व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता उस मेधाक्रम में अवधारित की जाएगी जिसके तहत ऐसी नियुक्ति के लिए वे चयनित हुए हैं।

(ख) एक ही भरती वर्ष में सीधी भरती तथा प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की स्थिति में सीधी भरती से नियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति से नियुक्त व्यक्तियों से कर्नीय होंगे।

(ग) प्रोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर जहाँ प्रोन्नति दी जाए, ऐसी प्रोन्नत कर्मियों की वरीयता उस क्रम में होगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्गत मार्गदर्शिका/अनुदेश के अनुसार समिति द्वारा ऐसी प्रोन्नति के लिए अनुशंसित हो।

(घ) उपर्युक्त क्रमांक 'क' 'ख' एवं 'ग' में वरीयता विनियमित करने वाले जिन अन्य विषयों का उपबंध विनिर्दिष्ट नहीं किये गये हैं उन विषयों के संबंध में वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय की समरूप पंक्ति के अथवा समकक्ष पदाधिकारियों पर लागू नियमों, आदेशों या निदेशों द्वारा शासित होंगे।

16. आरक्षण :- बिहार राज्य के नीतिगत निर्णय के अनुरूप विभिन्न वर्गों के लिये रिक्तियों की उतनी संख्या आरक्षित रहेगी।

17. नियंत्रण और अनुशासन :- सचिवालय के सभी पदाधिकारी अध्यक्ष के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

18. अनुशासनिक प्राधिकार :- नियुक्ति प्राधिकार, कर्मचारियों के अनुशासनिक प्राधिकार होंगे। नियुक्ति प्राधिकार, अपचारी कर्मचारियों को निलंबित, उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की पहल, आरोप-पत्र निर्गत

करने का आदेश दे सकेंगे या सचिवालय के ऐसा किए जानेवाले किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा ऐसा करवा सकेंगे और बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2005 में निर्दिष्ट कोई शास्ति भी ऐसे कर्मचारी पर अधिरोपित कर या करवा सकेंगे ।

19. अपील :- (1) प्रत्येक पदाधिकारी को सचिव द्वारा मूलतः या अपील पर दिये गये किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिसके द्वारा कोई दंड दिया या संपुष्ट किया गया हो ।

परन्तु जहाँ सचिव के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा मूलतः ऐसा आदेश दिया गया हो, वहाँ सचिव के पास ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी ।

(2) अध्यक्ष द्वारा मूलतः या अपील पर दिया गया आदेश अन्तिम होगा ।

परन्तु अध्यक्ष स्वतः या पुनर्विलोकन का आवेदन किये जाने पर इस नियम के अधीन दिये गये अपने किसी आदेश को पुनरीक्षित या विखंडित कर सकेंगे ।

(3) यदि अपीलकर्ता ऐसे अपील के ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से एक महीने की अवधि के अंतर्गत अपील नहीं करता है तो इस नियम के तहत अपील की सुनवाई नहीं की जाएगी ।

20. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति :-—अध्यक्ष पदों की उपलब्धता के अध्यधीन समूह—गके कनीय लिपिक, चालक, पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी एवं क्रम पत्र वितरक के पद पर अपेक्षित अर्हता रखनेवाले किसी भी व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर सकेंगे ।

21. वेतन एवं भत्ते :-—सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते वही होंगे, जो राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के समरूप पंक्ति अथवा समकक्ष पदों के कर्मियों को अनुमान्य होगा ।

परन्तु यदि असैनिक सचिवालय के किसी ऐसे पद का वेतनमान, जो अनुसूची में उल्लिखित पदों की कोटियों के किसी पद के समरूप अथवा समकक्ष हो, सरकार द्वारा पुनरीक्षित किया जाय अथवा अन्य भत्तों में कोई परिवर्तन किया जाय तो ऐसा पुनरीक्षित वेतनमान अथवा अन्य भत्ते इस सचिवालय की समरूप अथवा समकक्ष कोटि के पद के लिये भी लागू माना जाएगा ।

22. सेवा की अन्य शर्तें :-—पदाधिकारियों की सेवा—शर्तें विनियमित करनेवाले जिन अन्य विषयों के संबंध में इस नियमावली में उपबन्ध विनिर्दिष्ट नहीं किए गये हैं, उन विषयों के संबंध में पदाधिकारीगण राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय की समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों पर लागू नियमों, आदेशों या नियमों द्वारा शास्ति होंगे । परन्तु उनमें ऐसे रूपमें या परिवर्तन या अपवाद किए जा सकेंगे जो अध्यक्ष वित्त—विभाग से परामर्श करके, समय—समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

23. शिथिलीकरण :-—अध्यक्ष, किसी विशेष मामले में आवश्यक समझे जाने पर, वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात् आदेश से किसी नियम की अपेक्षाओं को उस हद तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन अभिमुक्ति प्रदान या शिथिल कर सकेंगे ।

24. कारबार का संव्यवहार :-—अध्यक्ष, इस नियमावली एवं इसके प्रयोजनार्थ अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के प्रशासन से पैदा होनेवाली कठिनाइयों के मद्देनजर सुविधाजनक एवं कारगर कारबार के संव्यवहार के लिए समय—समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपबंध कर सकेंगे ।

25. निर्वचन :-—इस नियमावली के निर्वचनों से संबंधित सभी प्रश्न अध्यक्ष को निर्देशित किए जाएँगे, जिस पर उनका निर्णय अतिम होगा ।

26. अवशिष्ट शक्तियाँ :-—इस नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन, सभी विषय जो विनिर्दिष्ट हैं उपबंधित न हो, इस नियमावली में चाहे इस नियमावली के उपबंधों के आनुषंगिक या प्रासंगिक या अन्यथा हो, अध्यक्ष द्वारा समय—समय पर दिए गए ऐसे आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

27. निरसन एवं व्यावृत्ति :-—इस नियमावली में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 1964, और इस नियमावली के लागू होने के ठीक पहले तत्प्रवृत्त नियमावली एवं इस नियमावली के तत्संगत नियमावली एतद द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित नियमावली के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इस नियमावली के तत्संगत उपबंधों के अध्याधीन किया गया या की गई समझी जाएगी तथा नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि से सभी संवर्गों में कार्यरत पदाधिकारी अनुसूची में सुसंगत विनिर्दिष्ट कोटि के पद के अनुसार पुनर्नामित/सामंजित समझे जाएंगे । इस हेतु अध्यक्ष द्वारा एक विशिष्ट आदेश निर्गत किया जायेगा ।

बिहार विधान सभा सचिवालय
अनुसूची
(नियम-3 का अवलोकन किया जाए)

क्रमांक	पदनाम	वर्ग	नियोक्ता प्राधिकारी	स्वीकृत बल
1.	सचिव	राजपत्रित समूह-क	बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार उच्चतर न्यायिक सेवाओं के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि (अतिकाल मानक) के पदाधिकारियों का प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ।	01 (एक)
2.	संयुक्त सचिव	राजपत्रित समूह-क	बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार उच्चतर न्यायिक सेवाओं के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि (चयन काल कोटि मानक) के पदाधिकारियों का प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ।	01 (एक)

प्रशासनिक संवर्ग

क्रम सं०	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर)	पदों का भरे जाने का अनुपात		बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता	स्वीकृत बल
				प्रोन्नति	सीधी भर्ती		
3.	निदेशक	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 13	100 %	—	उप सचिव की श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों में से, जो उप सचिव की श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष सेवा में रहे हों ।	02 (दो)
4.	उप सचिव	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 12	100 %	—	अवर सचिव श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों में से, जो अवर सचिव की श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष सेवा में रहे हों या संयुक्त रूप से अवर सचिव और प्रशाखा पदाधिकारी की श्रेणी में आठ वर्ष रहे हों ।	11 (ग्यारह)
5.	अवर सचिव	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 11	100 %	—	प्रशाखा पदाधिकारी के ऐसे व्यक्तियों में से, जो इस श्रेणी में कम से कम छः वर्ष सेवा में रहे हों या संयुक्त रूप से प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक की श्रेणी में आठ वर्ष रहे हों ।	24 (चौबीस)

6.	प्रशाखा पदाधिकारी	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 9	50 %	50 %	<p>प्रोन्नति हेतु सहायक श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो सहायक की श्रेणी में कम-से-कम पाँच वर्ष सेवा में रहे हों।</p> <p>सीधी नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत रिक्तियाँ, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों में से भरी जायेगी।</p> <p>इन पदों पर सीधी भरती के लिये शैक्षणिक योग्यताएँ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक की उपाधि। अन्य अहताएँ वहीं होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा असैनिक (सिविल) सेवाओं के लिये आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी।</p>	50 (पचास)
7.	सहायक	समूह-ख	वेतन संरचना में वेतन स्तर 7	25 %	75 %	<p>प्रोन्नति हेतु वरीय लिपिक श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो वरीय लिपिक श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष या संयुक्त रूप से ग्यारह वर्षों तक वरीय लिपिक और कनीय लिपिक श्रेणी में रहे हों।</p> <p>सीधी भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि हो।</p>	188 (एक सौ अठासी)

						वांछित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण—पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी. ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी. सी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ.ई. ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच।	
लिपिकीय संवर्ग							
8.	वरीय लिपिक	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 4	100 %	—	कनीय लिपिक श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो कनीय लिपिक श्रेणी में कम से कम आठ वर्षों की सेवा की हो, राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि हो।	25 (पच्चीस)
9.	कनीय लिपिक	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 2	—	100 %	सीधी भर्ती हेतु 1. रिक्तियों का 25% पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी (क्रम पत्र वितरक), कार्यालय परिचारी (रात्रि प्रहरी), कार्यालय परिचारी (दरबान), कार्यालय परिचारी (फर्रश), कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी) के उन कर्मचारियों में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जिन्होंने पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी (क्रम पत्र वितरक), कार्यालय परिचारी	25 (पच्चीस)

						(रात्रि प्रहरी), कार्यालय परिचारी (दरबान), कार्यालय परिचारी (फर्राश), कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी) के पद पर कम से कम 3 (तीन) वर्षों की सेवा की हो तथा राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इण्टरमीडिएट परिषद् की इण्टरमीडियट की योग्यता हो । 2. रिक्तियों का 75% खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इण्टरमीडिएट परिषद् की इण्टरमीडियट की योग्यता हो । वांछित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) की मान्यता प्राप्त हो या डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच ।	
स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग							
10.	प्रधान आप्त सचिव	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 11	100 %	-	आप्त सचिव श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों में से जो आप्त सचिव श्रेणी में कम से कम छः वर्ष रहे हों या 04 (चार)	

						संयुक्त रूप से आप्त सचिव और निजी सहायक श्रेणी में आठ वर्ष रहे हों।	
11.	आप्त सचिव	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 9	100 %	—	निजी सहायक श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो निजी सहायक श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा या संयुक्त रूप से निजी सहायक और आशुलिपिक श्रेणी में दस वर्ष रहे हों।	10 (दस)
12.	निजी सहायक	समूह-ख	वेतन संरचना में वेतन स्तर 7	50 %	50 %	<p>प्रोन्नति हेतु आशुलिपिक श्रेणी के उन व्यक्तियों की प्रोन्नति द्वारा जो कम से कम पाँच वर्षों तक आशुलिपिक श्रेणी में रहे हों।</p> <p>सीधी भर्ती हेतु 50 प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि तथा अंग्रेजी/हिन्दी में आशुलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिन्दी/अंग्रेजी टंकण जाँच में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो।</p> <p>वांछित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ.ई.</p>	17 (सत्रह)

							ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच।	
13.	आशुलिपिक	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 4	—	100 %	सीधी भर्ती हेतु सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास हिन्दी/अंग्रेजी में आशुलिपि गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी/अंग्रेजी टंकण परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ राज्य सरकार/केन्द्र द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक की उपाधि हो। वांछित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण—पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच।	25 (पच्चीस)	
पुस्तकालय संवर्ग								
14.	उप निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध—संदर्भ)	समूह—क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 11	100 %	—	सहायक निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध—संदर्भ) श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो सहायक निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध—संदर्भ) की श्रेणी में कम से कम छः वर्ष कार्यरत रहे हो।	01 (एक)	

15.	सहायक निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध-संदर्भ)	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 9	100 %	—	शोध सहायक / पुस्तकालय सहायक श्रेणी के उन व्यक्तियों में से (एक-एक) जो कम से कम छ: वर्ष शोध सहायक / पुस्तकालय सहायक की श्रेणी में सेवारत रहे हों ।	02 (दो)
16.	शोध / संदर्भ सहायक	समूह-ख	वेतन संरचना में वेतन स्तर 7	—	100 %	सीधी भर्ती द्वारा शोध अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि में पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक के साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो । वांछित 1. कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी. ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी. सी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ.ई. ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच ।	08 (आठ)
17.	पुस्तकालय सहायक	समूह-ख	वेतन संरचना में वेतन स्तर 7	—	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि हो ।	10 (दस)

							वांछित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण—पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी. ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी. सी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ.ई. ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच ।	
18.	पुस्तकालय परिचारी	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 1	—	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास मैट्रिक पास करने का प्रमाण—पत्र हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साइक्लिंग जानने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर ।	20 (बीस)	
सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसंपर्क संवर्ग								
19.	उप निदेशक (जनसंपर्क)	समूह—क	वेतन संरचना में वेतन स्तर 11	100 %	—	जनसंपर्क पदाधिकारी श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो जनसंपर्क पदाधिकारी की श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष कार्यरत रहे हों।	01 (एक)	
20.	जनसंपर्क पदाधिकारी	समूह—ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 9	—	100 %	सीधी भर्ती द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास जनसंपर्क अधिकारी के कार्य हेतु अपेक्षित उपयुक्तता सहित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की किसी विषय में स्नातक की उपाधि	02 (दो)	

						हो। वांछित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच।	
अनुवादक संवर्ग							
21.	सहायक निदेशक (अनुवादक)	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 9	100 %	-	उर्दू सहायक / उर्दू अनुवादक / अनुवादक (अंग्रेजी/हिन्दी) श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों में से (एक—एक—एक) जो उर्दू सहायक / उर्दू अनुवादक / अनुवादक (अंग्रेजी/हिन्दी) के पद पर कम से कम पाँच वर्ष सेवा में रहे हों।	03 (तीन)
22.	उर्दू सहायक	समूह-ख	वेतन संरचना में वेतन स्तर 7	-	100 %	खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि हो। नोट:- स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य होना चाहिए। वांछित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा	04 (चार)

							परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ.ई.ए.सी.सी. स्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच।
23.	उर्दू अनुवादक	समूह-ख	वेतन संरचना में वेतन स्तर 7	—	100 %	खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती स्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास स्नातक स्तर तक उर्दू भाषा के साथ हिन्दी में स्नातक की उपाधि हो या स्नातक स्तर तक हिन्दी भाषा के साथ उर्दू में स्नातक उपाधि हो। वांछित 1.हिन्दी से उर्दू या उर्दू से हिन्दी में अनुवाद का दो वर्षों का अनुभव। 2.कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ.ई.ए.सी.सी. स्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच। 3.राज्य सरकार / केन्द्र सरकार स्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / संस्थान से हिन्दी से	03 (तीन)

							उद्दृ तथा विषययेन अनुवाद में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ।	
24.	अनुवादक (अंग्रेजी / हिन्दी)	समूह-ख	वेतन संरचना में वेतन स्तर 7	—	100 %	खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास स्नातक स्तर तक अंग्रेजी भाषा के साथ हिन्दी में स्नातक की उपाधि हो या स्नातक स्तर तक हिन्दी भाषा के साथ अंग्रेजी में स्नातक उपाधि हो । वांछित 1.हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का दो वर्षों का अनुभव । 2..कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी. ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए. सी.सी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ. ई.ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच । 3.राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी तथा विषययेन अनुवाद में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ।	02 (दो)	
सुरक्षा संवर्ग								
25.	प्रधान मार्शल	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 11	100 %	—	मार्शल श्रेणी के वैसे व्यक्तियों में से जो	01 (एक)	

	(सुरक्षा / प्रशि क्षण)					मार्शल के पद पर कम से कम ४ वर्ष सेवा में रहे हों।	
26.	मार्शल	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 9	—	100 %	<p>सीधे चयन से पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी के बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों या सैन्य बल सेवा या अर्द्ध सैन्य बल सेवा (पूर्व सैनिक) में सदृश्य पद धारण करने वाले पदाधिकारियों के बीच से।</p> <p>वांछित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच।</p>	02 (दो)
27.	सहाय क मार्शल	समूह-ख	वेतन संरचना में वेतन स्तर 6	100 %	—	<p>सहायक अवर मार्शल के उन व्यक्तियों में से जो सहायक अवर मार्शल में कम से कम ०७ (सात) वर्षों की सेवा की हो।</p> <p>अर्हता इंटरमीडिएट</p>	04 (चार)
28.	सहाय क अवर मार्शल	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 4	100 %	—	सुरक्षा प्रहरी श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो सुरक्षा प्रहरी श्रेणी में कम से कम दस वर्षों की सेवा की हो।	08 (आठ)
29.	सुरक्षा प्रहरी	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 2	—	100 %	खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उन अभ्यर्थियों के बीच से जो राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता	90 (नब्बे)

						<p>प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद्/बोर्ड से किसी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों।</p> <p>शारीरिक मानदण्ड :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पुरुष : ऊँचाई— 167.5 से.मी. (तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 से.मी. की शिथिलनीय) 2. छाती : 76.5 — 81 से.मी. <p>स्त्री :</p> <p>ऊँचाई— 154.6 से.मी. (तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 से.मी. की शिथिलनीय)</p> <p>दृष्टि— 6 / 12 बिना चश्मे के दोनों आँखों से।</p> <p>उन्हें शारीरिक दोष, विकृति तथा व्याधि मुक्त भी होना चाहिए।</p> <p>वांछित</p> <p>(1) एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाण—पत्र या विशिष्ट खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो या जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के टूर्नामेण्ट में प्रतिनिधित्व किया हो।</p> <p>(2) कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण—पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन</p>
--	--	--	--	--	--	---

						विभाग (डी.ओ.ई.ए. सी.सी.) द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अधिकार के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच ।	
अवधायक संवर्ग							स्वीकृत बल
30.	अवधायक	समूह—ख	वेतन संरचना में वेतन स्तर 6	100 %	—	सहायक अवधायक श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो सहायक अवधायक श्रेणी में कम से कम 7 वर्षों की सेवा की हो ।	03 (तीन)
31.	सहायक अवधायक	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 4	—	100 %	खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि हो । वांछित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण—पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए. सी.सी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अधिकार के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच ।	06 (छः)
32.	कार्यालय परिचारी (रात्रि प्रहरी)	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 1	—	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास मैट्रिक पास करने का प्रमाण—पत्र हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साइक्लिंग	04 (चार)

						जानने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर ।	
33.	कार्यालय परिचारी (दरबान)	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 1	—	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास मैट्रिक पास करने का प्रमाण—पत्र हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साइकिलिंग जानने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर ।	16 (सोलह)
34.	कार्यालय परिचारी (फर्रश)	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 1	—	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास मैट्रिक पास करने का प्रमाण—पत्र हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साइकिलिंग जानने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर ।	33 (तीनतीस)
35.	कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी)	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 1	—	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास मैट्रिक पास करने का प्रमाण—पत्र हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साइकिलिंग जानने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर ।	30 (तीस)
36.	कार्यालय परिचारी (माली)	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 1	—	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास मैट्रिक पास करने का प्रमाण—पत्र हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साइकिलिंग जानने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर ।	20 (बीस)

प्रतिवेदक संवर्ग							स्वीकृत बल
37.	मुख्य प्रतिवेदक	समूह—क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 12	100 %	—	वरीय प्रतिवेदक की श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों में से रिक्त जो वरीय प्रतिवेदक की श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष सेवा में रहे हों या संयुक्त सेवाओं में वरीय प्रतिवेदक और प्रतिवेदक की श्रेणी में आठ वर्ष रहे हों।	01 (एक)
38.	वरीय प्रतिवेदक	समूह—क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 11	100 %	—	प्रतिवेदक श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों में से शत—प्रतिशत रिक्तियाँ जो प्रतिवेदक श्रेणी में कम से कम छः वर्ष रहे हों।	06 (छः)
39.	प्रतिवेदक	समूह—ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 9	—	100 %	खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास स्नातक की उपाधि तथा हिन्दी आशुलिपि में 150 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति एवं हिन्दी+अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति हो। नोट : अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि वे एक वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट गति की आशुलिपि जीवं में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी संपुष्टि	23 (तेइस)

							स्वीकृत नहीं होगी । वांछित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे अधिकल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी. ई) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए. सी.सी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ. ई.ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अधिक के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच ।	
चालक संवर्ग							स्वीकृत बल	
40.	चालक	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 2	—	100 %	सीधी भर्ती द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से वैध चालन लाइसेंस एल एम वी/एच एम वी लाइसेंस रखने तथा ट्रेड जाँच (प्रायोगिक), संचालन द्वारा । (क) ट्रेड जाँच (प्रायोगिक) 1. यातायात विनियमन तथा मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान, कार्बूरेटर, प्लग आदि साफ करने की क्षमता । 2. कार इंजिन का ज्ञान, पेट्रॉल/डीजल या सी एन जी का चालन तथा खराबियों को पता लगाने तथा चालन की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने की क्षमता । 3. चक्का बदलने तथा टायर में ठीक से हवा भरने की योग्यता (ख) यांत्रिक तथा	40 (चालीस)	

						चालन कौशल से प्रायोगिक जाँच । (ग) मैट्रिक पास करने का प्रमाण पत्र और हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान तथा साइक्लिंग जानने की क्षमता, साक्षात्कार के आधार पर ।	
संदेशवाहक / मैसेंजर संवर्ग							स्वीकृत बल
41.	कार्यालय परिचारी	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 1	—	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास मैट्रिक पास करने का प्रमाण—पत्र हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साइक्लिंग जानने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर ।	213 (दो सौ तेरह)
42.	क्रम पत्र वितरक	समूह—ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर 1	—	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच से जिनके पास मैट्रिक पास करने का प्रमाण—पत्र हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साइक्लिंग जानने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर ।	20 (बीस)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

बृज राज राय,
सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 553-571+1000-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>